

Form No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत..... उप (व्यक्ति) कादी ..... मुकाम..... वधान  
 ..... राम देव आदि ..... बनाम..... मनीज बगेल  
 किस्त मुकदमा..... नं..... 68/22 ..... सन.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
22/3/22	द्वारा जज (व्यक्ति) की प्रतिकारी जज को जारी एक सन अहकाम का प्रमाण दिनांक 6/3/22 को पेश हो	
6/3/22	<p>पीठासीन अधिकारी          पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/3/22 को पेश हो</p> <p>रीडर          एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना</p>	
4/3/22	<p>पीठासीन अधिकारी          पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/3/22 को पेश हो</p> <p>रीडर          एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना</p>	
31/1/23	<p>पीठासीन अधिकारी          पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/1/23 को पेश हो</p> <p>रीडर          एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना</p>	
8/1/23	<p>पीठासीन अधिकारी          पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/1/23 को पेश हो</p> <p>रीडर          एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना</p>	उसके अभियान में
8/2/23	<p>पीठासीन अधिकारी          पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/2/23 को पेश हो</p> <p>रीडर          एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना</p>	

तारीख  
हुकम

29/25

~~पीएसडी अधिकारी~~  
~~पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/11/26 को पेश है।~~

~~रीडर~~

~~ओ/एस.डी.एम.~~

24/11/25

कृष्ण उपा/ कुरेजात रिपोर्ट संलग्न है।  
पारना के दिनांक 15/11/26 को पेश है।  
पत्र युवा पेश/पाठ होकर प्रकरण 15/11/26 को  
पेश हो।

15/01/26

पीएसडी अधिकारी दीगल कर्म हैं।  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/3/26 को पेश है।

दीगल

रीडर

ओ/एस.डी.एम.

6/3/26

कृष्ण उपा/ कुरेजात रिपोर्ट संलग्न है।  
कुरेजात रिपोर्ट पर बहस/ आपत्ति हेतु प्रकरण  
दिनांक 8/4/26 को पेश हो।

24/26

पीएसडी अधिकारी दीगल कर्म हैं।  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/4/26 को पेश है।

दीगल

रीडर

ओ/एस.डी.एम.

10/4/26

प्रकरण पेश हुआ कृष्ण उपा/ कुरेजात रिपोर्ट काषट् आपत्तिकाश  
व्यव हारा अपनी सहमति व्यक्त  
करते इसे विभाजन किये जाने का  
निवेदन किया गया।

इसने पत्रावली व संलग्न दस्तावेज  
व्यव तद्वलीलदार कमाना की कुरेजात

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख में जारी हुये

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख में  
जारी हुये

रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन  
किया जाया जावे वादीगण स्वीकार योग्य  
है।

आदेश

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया  
जाता है आराजी खसरा नम्बर 833  
रकबा 2.83 हेक्टर वीके गलम खानखेडा  
का वृक्षभण्डारान / खातेदारान के मध्य  
विभाजन तहसीलदार बयाना की कुरानत  
रिपोर्ट क्रमांक/LR/25/382 दिनांक 10/10/25  
अनुसार किया जावे। उक्त कुरानत  
रिपोर्ट मिर्जापि/डिही का फुल स्टैगा।  
पत्रावली फौजल शुमार हीमर नम्बर  
के मय ही काड-तकनील वाम्बेलखतर  
की मिर्जापि डाक दिनांक 10/10/26 को  
द्वारे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया जाय।

अधिकारी  
बयाना (भरतपुर)

डिकरी व मुकदमों इत्तादाई

(आखंड 20, कूल 6-7, जाण्टा वीवाली)

(CIVIL PROCEDURE CODE] APPENDIXD-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर  
व इजलास दीपक मित्तल आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर:-68/22 जीसीएमएस नम्बर 2022/138

1. श्रीमती रामदेई विधवा स्व० बीरवल जाति ब्राह्मण निवासी नगला शीशराम मजरा खानखेडा तहसील बयाना
2. राधेश्याम पुत्रगण स्व० बीरवल जाति ब्राह्मण निवासी नगला
3. सुरेश शीशराम मजरा खानखेडा तहसील बयाना
4. शिशुपाल
5. रमेश
6. गीता पुत्री बीरवल पत्नी डालचंद जाति ब्राह्मण निवासी खिजूरी तहसील रूपवास
7. संता पुत्री बीरवल पत्नी गिरधारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी खदराया तहसील वैर भरतपुर
8. लोकेश कुमार पुत्र शिशुपाल जाति ब्राह्मण निवासी नगला शीशराम मजरा खानखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर

— वादीगण

बनाम

1. मनोज पुत्रगण हरीचरन जाति ब्राह्मण निवासी नगला शीशराम मजरा
2. सतीश खानखेडा तहसील बयाना
3. कैलाश
4. ललिता पुत्री हरिचरन पत्नी लखन जाति ब्राह्मण निवासी नीमली तहसील वैर भरतपुर
5. राजकुमारी पुत्री हरिचरन पत्नी रमेश जाति ब्राह्मण निवासी सुभाष चौक बयाना
6. मन्तीदेवी पत्नी राजवीरसिंह जाति जाट निवासी दौलतावाद तहसील गुडगांव जिला गुडगांव (हरियाणा)
7. लखमीचंद पुत्र श्यामसिंह जाति गूजर निवासी कुन्दनपुरा मजरा खानखेडा तहसील बयाना
8. तहसीलदार, बयाना जिला भरतपुर

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत किये जाने विभाजन व  
स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53  
व 188 राज०टी०एक्ट

यह मुकदमा आज दिनांक 10/11/26 वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ  
बहाजरी श्री प्रेमशंकर सिंघल एडवोकेट मिनजानिब वादीगण की ओर से तथा प्रतिवादीगण  
की ओर से श्री अजीतसिंह, उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि—  
दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 833 रकवा 2.83 हैक्टे०  
वाके ग्राम खानखेडा का उभयपक्षकारान/खातेदारान के मध्य विभाजन तहसीलदार बयाना की  
कुरेजात रिपोर्ट-क्रमांक/एलआर/25/3821 दिनांक 13.10.2025 अनुसार निर्णय/डिक्री का  
जुज रहेगा।

चीज..... X .....मुबलिग.....प्रतिवादीगण.....X.....बाबत

खर्चा.....तक.....को अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10/11/26 को जारी की गई।

दस्तखत मेरी ओहिदा  
बयाना भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलाह	रूपया	पैसे
अर्जीदावा			वकालतनामा		
वकालतनामा			वहज सबूत		

वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर इजराय हुक्मनामा मुत्तफर्रिक	निल	निल	जबाबदावा / काउन्टर क्लेम मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्तफर्रिक	निल	निल
	00	00		00	00

जज अदालत  
व इजलास श्री

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये  
दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।



अधिकारी  
बयाना / मुजफ्फरपुर

डिकरी व मुकदमे इब्तादाई  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodedure Code, Appendix 'D'-1)


जज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... बयाना.....

व इजलास श्री दीपक मित्तल (आर.ए.एस) .....  
श्रीमति रामदेई व अन्य बनाम मनोज व अन्य  
वाद बाबत किये जाने विभाजन व  
स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व  
188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
सन् 2022

मुकदमा नम्बर:-68/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसान कतई रू-ब-रू .....हमारे.....  
व हाजरी श्री प्रेमशंकर सिंघल एडो वादीगण मिनजानिब मुददई व .....श्री अजीत सिंह गुर्जर एडो  
प्रतिवादी संख्या 07 .....निल.....  
मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादीगण  
उभयपक्ष के वकूलाय की सहमति के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है।  
तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 833 रकवा 2.83  
वाके ग्राम खानखेडा तहसील बयाना के विरासत का नामान्तकरण दज करते हुये, राजस्व  
रिकार्ड में दर्ज हिस्सा मौके अनुसार उभयपक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी व  
बुरी में से बुरी कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश करें।.....बीज.....निल.....मुबेलिग.....  
.....निल.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.....  
.....निल.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....निल.....  
को अदा करें।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... 15/7/25 ..... सन् ..... 2025.को  
जारी की गई।



दस्तखत.....  
ओहदा.....

मुददई	रूपया	पै.	मुददायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	:-		स्टाम्प वकालत नामा	:-	
स्टाम्प वकालत नामा	:-		जी	:-	
स्टाम्प वजह सबूत	:-		महनताना वकील	:-	
महनताना वकील	:-		खर्चा गवाहा	:-	
खर्चा गवाहान	:-	निल	फीस कमिशनर	:-	निल
फीस कमिशनर	:-		बाबत इजराय हुक्मनामा	:-	
बबत इजराय हुक्मनामा	:-		मुतफरिक	:-	
मुतफरिक	:-				
मीजान :-			मीजान :-		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हरदो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी  
बयाना (भरतपुर)

1. श्रीमति रामदेई विधवा स्व० बीरवल, जाति ब्राह्मण, निवासी नगला शीशराम खानखेडा, तहसील बयाना
2. राधेश्याम पुत्र स्व० बीरवल, जाति ब्राह्मण, निवासी नगला शीशराम मजरा खानखेडा, तहसील बयाना
3. सुरेश पुत्र स्व० बीरवल, जाति ब्राह्मण, निवासी नगला शीशराम मजरा खानखेडा, तहसील बयाना
4. शिशुपाल पुत्र स्व० बीरवल, जाति ब्राह्मण, निवासी नगला शीशराम मजरा खानखेडा, तहसील बयाना
5. रमेश पुत्र स्व० बीरवल, जाति ब्राह्मण, निवासी नगला शीशराम मजरा खानखेडा, तहसील बयाना
6. गीता पुत्री बीरवल पत्नी डालचंद, जाति ब्राह्मण निवासी खिजूरी रूपवास
7. संता पुत्री बीरवल पत्नी गिरधारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी खदराया तहसील वैर जिला भरतपुर
8. लोकेश कुमार पुत्र शिशुपाल, जाति ब्राह्मण, निवासी नगला शीशराम मजरा खानखेडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर

.....वादीगण

बनाम

1. मनोज पुत्र हरीचरन, जाति ब्राह्मण, निवासी नगला शीशराम मजरा खानखेडा, तहसील बयाना
2. सतीश पुत्र हरीचरन, जाति ब्राह्मण, निवासी नगला शीशराम मजरा खानखेडा, तहसील बयाना
3. कैलाश पुत्र हरीचरन, जाति ब्राह्मण, निवासी नगला शीशराम मजरा खानखेडा, तहसील बयाना
4. ललिता पुत्री हरिचरन पत्नी लखन, जाति ब्राह्मण, निवासी नीमली, तहसील वैर, जिला भरतपुर
5. राजकुमारी पुत्री हरिचरन पत्नी रमेश, जाति ब्राह्मण, निवासी सुभाष चौक बयाना, तहसील बयाना
6. मन्तीदेवी पत्नी राजवीरसिंह, जाति जाट, निवासी दौलताबाद, तहसील गुडगांव जिला गुडगांव (हरियाणा)
7. लखमीचंद पुत्र श्यामसिंह, जाति गूजर, निवासी कुन्दनपुरा मजरा खानखेडा, तहसील बयाना जिला भरतपुर
8. तहसीलदार बयाना



उपवाक्य अधिकारी  
बयाना / भरतपुर